निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 73/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

धर्मेन्द्र पुत्र मोहन लाल जाति जाट निवासी जोरपुरा जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुकुट सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर ।
2. दातार सिंह पुत्र हाथी सिंह जाति राजपूत, निवासी शिवपुरी, झोटवाडा तहसील जयपुर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 103/2024 ब उनवानी दातार सिंह बनाम धर्मेन्द्र व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री बंशीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री महेन्द्र सिंह पंवार अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 23.01.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष प्रकरण संख्या 103/2024 ब उनवानी दातार सिंह बनाम धर्मेन्द्र व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवता श्री महेन्द्र सिंह पंवार ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में लेकर मनमर्जी से बिना विधिक प्रकिया के ही आदेश पारित करवाने पर आमादा है तथा दिनांक 06.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के भाई व अधिवक्ता को यह कहा कि एक दो पेशियों में दावा मेरे पक्ष में डिक्री करवा लूंगा । आज मैंने मौके पर तहसीलदार को भेजने के आदेश करवा लिये है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह जानकारी प्रार्थी को दी गई तो प्रार्थी को यह अंदेशा हुआ कि पूर्व में पत्रावली जवाब व तलबी हेतु नियती थी। अचानक ही दिनांक 16.11.2024 को तहसीलदार जोबनेर

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

को मौके पर जाकर सीमाज्ञान करने के आदेश दिये गये है इससे साफ जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है। अन्य अप्रार्थी संख्या 2 काफी प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है जिसकी पहुंच राजनैतिक लोगों से होने के कारण आये दिन कहता रहता है कि मै उक्त प्रकरण का फैसला मेरे मन माफिक करवा कर रहूंगा। जिसकी ताईद उक्त पीठासीन अधिकारी के द्वारा किये गये तथ्यों से भी होती है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का व्यवहार न्यायिक तौर पर ठीक नहीं रहा तथा ऐसा लग रहा था कि वो प्रार्थी के प्रकरण में जल्द बाजी करते हुये प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को अन्देशा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी के प्रभाव में है तथा उक्त प्रकरण में न्याय निर्णय प्रार्थी के पक्ष में करने में असमर्थ है उसके उपरान्त भी पीठासीन अधिकारी विचाराधीन प्रकरण में विशेष रूची रख कर प्रकरण का फैसला करने पर आमदा हो रहे। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरणों को निस्तारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को भी खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner